[2018] 2 एस. सी. आर. 1108

नवीन कौशिक

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(आपराधिक अपील संख्या 1393/2013)

अप्रैल 26, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्तिगढ़]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - धारा 19 (3) (सी) - अभिनिर्धारित : तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले के मद्देनजर 28 मार्च, 2018 के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एशियन रिसर्फ़िंग रोड एजेंसी पी. लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को [2018] 2 एस. सी. आर. 1045 में रिपोर्ट किया गया। आपराधिक अपील संख्या 1394/2013 में लगाए गए आलोच्य आदेश को निरस्त किया गया और मामले को पुनः उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है - कनेक्टेड अपील संख्या 1384, 1386-1387, 1395 और 10050-10051, खारिज - एस. एल. पी. क्रिमिनल संख्या 5678/14 अलग किया गया - एस. एल. पी. क्रिमिनल संख्या 9363/17 को एस. एल. पी. क्रिमिनल संख्या 6165/2016 - के साथ जोड़ दिया गया अन्य सभी जुड़े हुए अपील/विशेष अनुमति याचिकाओं को विचाराधीन न्यायालय के समक्ष उठाए जाने वाले किसी भी विवाद के पक्षपात के बिना वापस लेने की अनुमति दी गई।

क्रिमिनल अपीलीय न्यायाधिकरणः आपराधिक अपील संख्या 1393 वर्ष 2013।

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एल.पी.ए. संख्या 810 वर्ष 2010 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.03.2011 से।

के साथ

क्रिमिनल ए संख्या 1377, 1394, 1382, 1383, 1384, 1386-387, 1385, 1406, 1396,1395,1391,1389,1388,1398,1397,1390,1399,1402,1400,1401,1404,1403,1405 वर्ष 2013

क्रिमिनल ए संख्या 388,234 वर्ष 2014

एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 5678, 1451, 1399, 2508, 2970, 2507, 2939, 2977, 4709,6372,6391,6691-6692 वर्ष 2014

एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 9363 वर्ष 2017

एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 2610,6835,6834,6837,10050-10051,9652-9653 वर्ष 2013 के

विकास सिंह, सीनियर अधिवक्ता, मो. शाहिद अनवर, जुल्फिकार अली खान, आमिर नसीम, एम. सी. ढींगरा, अनुज चौहान, सिबो शंकर मिश्रा, एम. के. पांडे, सुश्री सुतपा सारंगी, अनुपम लाल दास, अनिरुद्ध सिंह, कृष्णू बरुआ, ऋषि मल्होत्रा, डॉ. सुशील कुमार गुप्ता, अजीत कुमार गुप्ता, सुश्री राधेश्याम आहूजा, अरविंद कुमार शुक्ला, मोहित डी. राम, आलोक शुक्ला, निहाल अहमद, कुणाल यादव, सुश्री। नीना शुक्ला, सुश्री मृदुला रे भारद्वाज, योगिंदर हांडू, निशांत कुमार, हरविंदर सिंह भुल्लर, सुश्री मोनालिशा चौधरी, अश्वनी कुमार, योगेश वर्मा, भवतोष शर्मा, स्नेहिल सोनम, अनुज चौहान, गोपाल झा, सर्वेश सिंह बघेल, राजेश त्यागी, हर्ष खन्ना, हरीश पांडे, अमित तंवर, निखिल जैन, आर. पी. शुक्ला, विजय के. जैन, कमल मोहन गुप्ता, अभिनव शर्मा, सुश्री स्नेहा बाउल, संतोष कुमार-1, एस. एस. शमशेरी, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, सुश्री किरण भारद्वाज, सुश्री बीनू तमता, वी. वी. पट्टाबी राम, सुमित तेतरवाल, मुकेश कुमार मारोरिया, सुश्री किरण भारद्वाज, बीवी बलराम दास, अशोक के. महाजन, सेंथिल जगदीश, अमरजीत सिंह बेदी, सर्वेश सिंह बघेल, अधिवक्तागढ़ उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

<u>आदेश</u>

हमने पार्टियों के विद्वान अधिवक्ताओ को सुना और दस्तावेजों का अवलोकन किया।

आपराधिक अपील संख्या 1393 वर्ष 2013,

आपराधिक अपील संख्या 1377/2013,1383/2013,1399/2013,1405/2013;

और एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 6837/2013,

आपराधिक अपील संख्या 1382 वर्ष 2013,

आपराधिक अपील संख्या 1396 वर्ष 2013,

आपराधिक अपील संख्या 1389/2013,1388/2013,1390/2013

एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 2610/2013,

सी.आर.एल. अपीलीय संख्या 1398/2013;

एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 6835/2013,6834/2013

आपराधिक अपील संख्या1397/2013,1402/2013,1401/2013,1404/2013,1403/2013,

एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 9652-53/2013,1451/2014,1399/2014,2508/2014।

2970/2014,2507/2014,6372/2014,6391/2014,

आपराधिक अपील संख्या 1400/2013

आपराधिक अपील संख्या 388/2014,

एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 2939/2014,2977/2014,4709/2014,6691-6692/2014,

अपील और विशेष अनुमति याचिका को कानून के अनुसार विचाराधीन न्यायालय के समक्ष उठाए जाने वाले किसी भी विवाद के पक्षपात के बिना वापस लेने की अनुमति है।

पक्षकारों को 21 मई, 2018 को या निर्धारित तिथि के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए विचाराधीन न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है।

<u>आपराधिक अपील संख्या 1394/2013:</u>

इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर 28 मार्च, 2018 को एशियन रिसर्फ़िंग रोड एजेंसी पी. लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आपराधिक अपील संख्या 1375-1376 वर्ष 2013, आलोच्य आदेश को निरस्त किया गया और मामले को कानून के अनुसार पुनः फैसले के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है।

तदनुसार, अपील निस्तारित किया जाता है।

पक्षकारों को सोमवार 28 मई, 2018 को उच्च न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है।

<u>आपराधिक अपील संख्या 1384 वर्ष 2013:</u>

अपीलार्थीगढ़ के विद्वान अधिवक्ता के बयान पर अपील को निष्फल मानते हुए खारिज कर दिया गया।

पक्षकारों को 21 मई, 2018 को या निर्धारित तिथि के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए विचाराधीन न्यायालय में पेश होने के लिए निर्देशित किया जाता है।

<u>आपराधिक अपील संख्या 1385 2013:</u>

अपील को कानून के अनुसार विचाराधीन न्यायालय के समक्ष उठाए जाने वाले किसी भी विवाद के पक्षपात के बिना वापस लेने की अनुमति है।

पक्षकारों को 15 मई, 2018 को आगे की कार्यवाही के लिए विचाराधीन न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

<u>आपराधिक अपील संख्या 1406 वर्ष 2013,</u>

<u>आपराधिक अपील संख्या 1391 वर्ष 2013:</u>

अपील को कानून के अनुसार विचाराधीन न्यायालय के समक्ष उठाए जाने वाले किसी भी विवाद के पक्षपात के बिना वापस लेने की अनुमति है।

पक्षकारों को 10 जुलाई, 2018 को आगे की कार्यवाही के लिए विचाराधीन न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

<u>आपराधिक अपील संख्या 234/2014:</u>

अपील को कानून के अनुसार विचाराधीन न्यायालय के समक्ष उठाए जाने वाले किसी भी विवाद के पक्षपात के बिना वापस लेने की अनुमति है।

पक्षकारों को 19 मई, 2018 को आगे की कार्यवाही के लिए विचाराधीन न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

<u>आपराधिक अपील संख्या 1386-1387 वर्ष 2013,</u>

<u>आपराधिक अपील संख्या 1395 वर्ष 2013,</u>

<u>एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 10050-10051/2013:</u>

हमें इन अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिली अतः खारिज की जाती हैं।

पक्षकारों को 21 मई, 2018 को या निर्धारित तिथि के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए विचाराधीन न्यायालय में पेश होने के लिए निर्देशित किया जाता है।

हम आगे निर्देश देते हैं कि उपरोक्त सभी मामलों में, दस्तावेजों को विचाराधीन न्यायालय में भेजा जाए ताकि विचाराधीन न्यायालय इससे पहले लंबित मामलों के साथ आगे बढ़ सके।

<u>एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 5678/2014:</u>

विशेष अनुमति याचिका को गलत तरीके से क्रिमिनल ए नं. 1386-1387/2013 के साथ टैग किया गया है।

तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका को अलग कर दिया गया है और स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध किया जा सकता है।

<u>एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 9363/2017:</u>

एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 6165 वर्ष 2016 को टैग करें।

दिव्या पांडे

मामला निस्तारित।

अनुवादकर्त्ता:
प्रशांत कुमार सिंह
अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय